न्यायालय Additional District and Sessions Judge, Court No-5/Special Judge,N.IA/A.T.S, Lucknow

UPLK010196372022

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–11304 / 2022

अब्दुल्ला सऊद अंसारी आयु लगभग 27 वर्ष पुत्र अब्दुल कलाम निवासी अलावल थाना–लोहता, जनपद–वाराणसी।

.....आवेदक / अभियुक्त

प्रति

उ0प्र0राज्य

.....विपक्षी

अ0सं0: 229 / 2022

धारा–153ए, 153बी भा0दं0सं0 व 7, 8, 13 (1)(ए)(बी)व 13(2)यू0ए0पी0ए0एक्ट

थाना: लोहता, जनपद–वाराणसी।

दिनांक 07.01.2023

1. प्रार्थी / अभियुक्त अब्दुल्ला सऊद अंसारी की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभिरक्षा में रहते हुए थाना–लोहता, जिला–वाराणसी के मुकदमा अपराध संख्या 229 / 2022, अन्तर्गत धारा–153ए, 153बी भा0दं0सं0 व 7, 8, 13 (1)(ए)(बी)व 13(2)यू0ए0पी0ए0एक्ट में मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्र0 निरीक्षक श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी है कि वह मय हमराहियान देखभाल क्षेत्र, तलाश वॉछित अपराधी में मामूर होकर रोहनिया तिराहा पर उपस्थित थे कि इसी दौरान जरिये मुखबिर खास जानकारी हुई कि ग्राम अलावल का रहने वाला अब्दुल्ला सउद अंसारी गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त है जो समाज के लिए घातक हो सकती है, इस सम्बन्ध में पूर्व में भी संज्ञान में आया है। उपरोक्त सूचना पर वह मय हमराहियान अब्दुला सउद अंसारी के घर आया जो अपने घर पर मिला, जिस संदिग्ध होने पर पूछताछ करते हुए धारा–91 सी0आर0पी0सी0 के अनुबन्धों का पालन करते हुए संदिग्ध वस्तु व प्रपत्र जो प्रतिबन्धित संगठन से सम्बन्धित हो सकते है कि बिना पर अब्दुला अंसारी के रिहायशी मकान व कमरे की तलाशी ली गयी तो उसके आवास से प्रतिबन्धित संगठन पी0एफ0आई0 से सम्बन्धित आपत्तिजनक प्रपत्र आदि प्राप्त हुए है तथा प्रपत्रों के साथ–साथ वीडियो क्लिप आदि भी प्राप्त हुये है जिसमें मुस्लिम समुदाय पर अन्य समुदाय द्वारा जुल्म शितम की बात दिखायी गयी है। इसी क्रम में रेप पीड़िता मुस्लिम समुदाय के लड़कियों के साथ समुचित न्याय न होने की बात की गयी है। एन0आर0एसी0 को लेकर असम में मुस्लिम समुदाय पर सुरक्षा बल द्वारा जुर्म शितम करने से सम्बन्धित वीडियो बनाकर बात की गयी है। गोधरा काण्ड से सम्बन्धित रियाल्टी बाइट्स द फायर ऑफ गोधरा के नाम से वीडियो क्लिप है, जिसमें मुस्लिम समुदाय पर अन्य सम्प्रदायों द्व ारा वर्ग विभेद व पी0एफ0आई0 बैन पर जफरूल इस्लाम के एन0आई0ए0 पर गम्भीर आरोप के वीडियो का लिंक अपने व अन्य लोगों पर शेयर किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अब्दुला साउद अंसारी भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित संगठन पी0एफ0आई0 का सक्रिय सदस्य है उससे कड़ाई ये पूछताछ की गयी तो उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वह वर्ष 2017 से पी0एफ0आई0 के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है।

3. प्रार्थी / अभियुक्त की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया गया है कि वह निर्दोष है तथा उसे इस मामले में दुर्भावनावश झूठा फॅसाया गया है। वह

WWW.LIVELAW.IN

कानून का सम्मान करने वाला व्यक्ति है तथा उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नही है। अभियोजन कथानक के अनुसार वह एक प्रतिबन्धित संगठन पी0एफ0आई0 का सदस्य है एवं वह पी0एफ0आई0 संगठन के माध्यम से कानून व्यवस्था को क्षति पहुॅचाने हेतु एक आपराधिक षडयन्त्र रच कर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हुआ। विवेचनाधिकारी की बातों पर विश्वास करके वह जॉच के दौरान सहयोग करने हेतु सम्बन्धित पुलिस स्टेशन गया जहॉ पर उसे अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया और में उसके परिवार को कोई जानकारी दिये बिना न्यायिक रिमॉड ले लिया गया तथा पूछताछ के दौरान उसे काफी दबाव में रखते हुए पुलिस अधिकारियों द्वारा कई सादे पेपरों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। जॉच एजेंसियों को उसके विरूद्ध प्रतिबन्धित संगठन पी0एफ0आई अथवा अन्य किसी संदिग्ध संगठन में शामिल होने सम्बन्धी कोई लिंक नही मिला है। वह कभी भी प्रतिबन्धित संगठन पी0एफ0आई0 में शामिल नहीं रहा है। उसके खिलाफ विवेचनाधिकारी द्वारा एक भी सबूत एकत्र नहीं किया गया है, उसके खिलाफ कोई अपराध नही बनता है। उसके तकनीकी फुटप्रिंटस (मोबाईल, डेटा रिकार्ड और रिकार्ड पर मौजूद दस्तावेज आदि) की गहन जॉच से पता चला है कि आवेदक किसी भी संदिग्ध या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल नही रहा है। उसके विरूद्ध लगायी गयी सभी धाराऍ यहॉ तक कि यू0ए0पी0ए0 एक्ट भी सात से कम सजा से दण्डनीय है परन्तु उसे गिरफ्तारी के समय कोई नोटिस प्राप्त नही करायी गयी है, जो स्पष्ट रूप से धारा–41ए सी0आर0पी0सी0 का उल्लघंन है। वह एक मजदूर है और अपनी जीविक के लिए काम करता है। उसके पास से कोई बरा

मदगी नही है। जाली नोट के किसी भी कृत्य में उसका हाथ नही है। वह न्यायालय की संतुष्टि पर अपनी जमानते देने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित में उल्लिखित आधारों पर अभियुक्त द्वारा स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

5. मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों, थाने से प्राप्त आख्या एवं सम्पूर्ण केस डायरी का सम्यक् रूप में परिशीलन किया गया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पर आरोप है कि वह प्रतिबन्धित संगठन पी0एफ0आई0 का सदस्य है तथा उसके पास से पी0एफ0आई0 संगठन से सम्बन्धित प्रपत्र व वीडियो क्लीप्स मिली है परन्तु इस मामले में अभियुक्त का कथन है कि उसके पास से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी नही हुई है। विवेचनाधिकारी द्वारा उसे पूछताछ के बहाने थाने पर बुलाकर गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसके उपर लगायी गयी धाराऍ सात साल से कम सजा से दण्डनीय है।

प्रस्तुत मामले में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधिव्यवस्था सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन एन्ड अदर्स तथा क्रि0अपील नम्बर 1277/2014 स्पेशल लीव पिटीशन (क्रि0) नम्बर–9127/2013 अर्नेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य प्रस्तुत की है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के उपर अधिरोपित धाराऍ सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 30.09.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नही है।

अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए गुणदोष पर विचार किये बिना मैं आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार पाता हूॅ। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अब्दुल्ला सऊद अंसारी का जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या 299/2022, अन्तर्गत धारा–153ए, 153बी भा0दं0सं0 व 7, 8, 13 (1)(ए)(बी)व 13(2)यू0ए0पी0ए0एक्ट, थाना–लोहता, जिला–वाराणसी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा रूपए 50,000=00 (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व इसी धनराशि की दो जमानतें दाखिल करने पर उसे निम्नलिखित शर्तो के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है।

1. अभियुक्त दौरान विचारण अनावश्यक स्थगन प्रार्थना पत्र नही देगा।
2. अभियुक्त मुकदमें के विचारण के दौरान किसी प्रकार से विलम्ब कारित नही करेगा।
3. अभियुक्त किसी प्रकार से साक्षियो पर दबाव नही बनायेगा और न ही उनको किसी प्रकार से प्रभावित करेगा।

WWW.LIVELAW.IN

4. अभियुक्त चार्ज व बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 के स्तर पर प्रत्येक दशा में व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो विचारण न्यायालय अपने स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगी।

दिनांकः 07.01.2023

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–5
लखनऊ।
आई0डी0–यू0पी0–6127

WWW.LIVELAW.IN

Digitally signed by VIVEKANAND SHARAN TRIPATHI
Date: 2023.01.07 17:36:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court